HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10335/2026
URN: CW / 22960U / 2026

Shri Shrey Modi S/o Shri. Chhagan Lal Modi, Aged About 33 Years, R/o A-136, Krishna Marg, Shyam Nagar, District Jaipur, Rajasthan-302006

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary, Transport And Road Safety Department, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. Registration Officer And District Transport Officer (Non-Transport), Jaipur First, Registered Office At Jhalana Sansthik Kshetra, Jhalana Dungri, Jln Marg, Jaipur - 302004.
3. Regional Transport Officer, Jaipur First, Registered Office At Jhalana Sansthik Kshetra, Jhalana Dungri, Jln Marg, Jaipur-302004.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Divyesh Maheshwari
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/06/2026

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अयाचीगण को याचिका व स्थगन प्रार्थनापत्र के नोटिस जारी किये जावें।

याची अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अयाचीगण की तामील हेतु नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत करें, जो प्रस्तुत होने पर जारी किये जावें।

अन्तरिम स्थगन के संबंध में सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने अपने पूर्व वाहन एम्बेसेडर कार के पंजीयन संख्या RSL0002 को नई अल्टो वीएक्सआई कार के

RAJASTHAN HIGH COURT

पंजीयन संख्या से अदल–बदल (swap) करवाया और इस हेतु शुल्क भी जमा करवा दिया। तत्पश्चात् एक सामान्य नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जारी हुआ और अन्य वाहन स्वामियों के साथ–साथ याची को भी वाहन अल्टो कार को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। याची द्वारा वाहन का भौतिक सत्यापन करवा लिया गया, जिसका प्रमाणपत्र परिशिष्ट–7 उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपपरान्त भी बिना किसी कारण के याची के वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया गया, जो सर्वथा विधि विरूद्ध है।

सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए इस आशय का अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथि तक आलौच्य आदेश दिनांक 30.01.2026, जिसके द्वारा याची के वाहन संख्या RSL0002 चैचिस संख्या MA3EYD81S00110520 ईंजन संख्या F10DN4025789 का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया है, का प्रभाव और क्रियान्विति स्थगित रहेगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि याची आगामी तिथि तक अपने इस वाहन का बेचान नहीं करेगा, परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि वह अपने जोखिम पर वाहन को लोकमार्ग पर चलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण अन्य सिविल रिट याचिका संख्या 8252/2026 के साथ संलग्न कर दिनांक 17.07.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

21/VISHAL SHARMA